राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील आबकारी संख्या – 1652/2012/सवाईमाधोपुर.

मैसर्स टाईगर डेन रिसोर्ट जरिये पार्टनर प्रेमप्रताप
विश्नोई पुत्र श्री हनुमान सिंह विश्नोई निवासी
खिलचीपुर तहसील व जिला सवाईमाधोपुर .....अपीलार्थी.

बनाम

जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी विभाग, सवाईमाधोपुर. ....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य
श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित : :

श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एन. एस. राठौड़,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07/04/2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी द्वारा आयुक्त, आबकारी, राजस्थान उदयपुर (जिसे आगे **'आबकारी आयुक्त'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या प–29(बी)/अपील/5/आब/2010 में पारित किये गये आदेश दिनांक 18.7.2012 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9–ए के तहत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल टाइगर डेन रिसोर्ट ग्राम खिलचीपुर जिला सवाईमाधोपुर में स्थित है जो सवाईमाधोपुर की नगरपालिका सीमा से 5 किमी से अधिक दूरी पर स्थित है। आबकारी विभाग द्वारा अपीलार्थी के होटल में बार का लाईसेंस जारी किया हुआ है जिसमें प्रावधान है कि ऐसे होटल बार जो नगरपालिका सीमा से 5 किमी. से अधिक की दूरी पर स्थित है उनकी बार लांईसेंस फीस प्रतिवर्ष, नगरपालिका सीमा से 5 किमी. से कम दूरी में स्थित बार की फीस से कम निर्धारित की हुई है। अपीलार्थी से जिला आबकारी अधिकारी द्वारा होटल टाइगर डेन रिसोर्ट की बार को 5 किमी. की सीमा में मानकर अधिक फीस वसूल की जा रही है। अपीलार्थी की ओर से जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष नियमानुसार फीस वसूल कर उसके द्वारा अधिक जमा करवायी गयी फीस वापस दिलाने का निवेदन किया गया। जिस पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रार्थी को टाइगर डेन रिसोर्ट से नगरपालिका सीमा से दूरी बाबत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने को कहा, जिस पर अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर तथा अधिशाषी

लगातार...............2

अधिकारी नगरपालिका सवाईमाधोपुर से भिन्न–भिन्न जांच करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तहसीलदार एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में टाइगर डेन रिसोर्ट को सवाईमाधोपुर नगरपालिका सीमा से 5 किमी. से अधिक दूरी पर स्थित माना है। जिला आबकारी अधिकारी रिसोर्ट के नगरपालिका सीमा से सीधी दूरी (Crow Flies) आबकारी निरीक्षक सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट दिनांक 10.8.2006 अनुसार 5 किमी. से कम मानते हुए आदेश दिनांक 1.9.2006 जारी कर वर्ष 2006–07 की देय अनुज्ञापत्र नवीनीकरण राशि जमा कराने के आदेश दिये। इस आदेश से ग्रसित होकर अपीलार्थी द्वारा गलत रूप से सिविल न्यायालय में वाद पेश कर दिया गया, जिसे क्षेत्राधिकार विहीन मानते हुए सिविल न्यायालय ने वापस लौटा दिया। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील न्यायालय आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो अपील संख्या 05/10 पर दर्ज की गई। उक्त अपील आबकारी आयुक्त ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.7.2012 से खारिज करते हुए जिला आबकारी अधिकारी के आदेश की पुष्टि की। प्रार्थी द्वारा आबकारी आयुक्त के उक्त आदेश से असहमत होते हुए यह निगरानी अधिनियम की धारा 9ए के तहत प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि –

1. आबकारी आयुक्त का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.7.2012 एवं जिला आबकारी अधिकारी का आदेश दिनांक 03.09.2006 विधिविरूद्ध एवं आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत एवं नगरपालिका सीमा से बार की दूरी नापने के नियम के विपरीत आदेश होने से खारिज किये जाने योग्य है।

2. आबकारी अधिनियम के तहत राजस्थान आबकारी विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ.4(13)एफ.डी./आबकारी/72 दिनांक 15.5.1992 में यह निर्धारित किया गया कि शहर व उससे बाहर स्थित शराब की दुकानों की दूरी को सड़क मार्ग से नापा जायेगा और इन्हें सीधी दूरी (Crow Flies) से नहीं नापा जायेगा। उक्त परिपत्र के अनुसार आबकारी विभाग द्वारा आबकारी दुकानों के सम्बन्ध में दूरी का नाप जरिये सड़क मार्ग किया जाता है और इसी अनुरूप अपीलार्थी के होटल बार का नगरपालिका सीमा से दूरी का आंकलन भी सड़क मार्ग से ही किया जाना चाहिये था। सीधी दूरी से नापने का कोई प्रावधान न तो आबकारी नियमों में दिया हुआ है और न ही इसका उपयोग किया जा

लगातार...............3

सकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बार पर आता है तो वह सड़क मार्ग का उपयोग करता है और इस आधार पर अपीलार्थी की होटल बार नगरपालिका सीमा से 5 किमी. से अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण उसके बार लाईसेंस की फीस उसी अनुरूप वसूल की जानी चाहिये किन्तु इस तथ्य को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तोड़—मरोड़कर नियमों के विपरीत जाते हुए निर्णीत किया है जो उपरोक्त दर्शित स्वयं आबकारी विभाग के परिपत्र के नियम विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।

3. यह कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा मांगी गयी रिपोर्ट के अनुसार अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सवाईमाधोपुर ने होटल टाइगर डेन रिसोर्ट की दूरी नगरपालिका सीमा से नापकर रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें होटल टाइगर डेन रिसोर्ट को नगरालिका सीमा से 5.2 किमी. की दूरी पर स्थित माना है। इसी प्रकार तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा भी टाइगर डेन रिसोर्ट की दूरी नापकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसमें टाइगर डेन रिसोर्ट को नगरपालिका सवाईमाधोपुर सीमा से 5 किमी. से अधिक की दूरी पर स्थित बताया है। इस प्रकार विधिवत रूप से एवं नियमानुसार दूरी नापने पर अपीलार्थी के टाइगर डेन रिसोर्ट की दूरी नगरपालिका सीमा से 5 किमी. से अधिक दूरी पर स्थित है और इसी अनुरूप अपीलार्थी से होटल बार अनुज्ञापत्र का शुल्क वसूल किया जाना चाहिये था किन्तु जिला आबकारी अधिकारी ने अपीलार्थी से होटल बार को नरगपालिका सीमा से 5 किमी. की दूरी के अन्दर मानते हुए अधिक वसूल किया है, जो उपरोक्तानुसार विधिक प्रावधानों, आबकारी अधिनियम व तहसीलदार तथा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के मुताबिक गलत व नियम विपरीत होने से ऐसा आदेश निरस्तनीय है।

4. अपीलार्थी के होटल टाइगर डेन के नजदीक एक अन्य होटल पगमार्ग रिसोर्ट स्थित है, जो अपीलार्थी के होटल व शहर के बीच स्थित है अर्थात् इसकी दूरी नगरपालिका सीमा से कम है, किन्तु फिर भी इसे आबकारी विभाग द्वारा सड़क मार्ग के आधार पर दूरी नापते हुए 5 किमी. से ज्यादा दूरी पर स्थित मानकर इसे होटल बार का अनुज्ञापत्र जारी किया गया है। इस प्रकार आबकारी विभाग ने अपनी इच्छा से दो भिन्न—भिन्न बार लाईसेंस को भिन्न—भिन्न तरीके से नगरपालिका सीमा से दूरी नापते हुए अनुज्ञापत्र जारी किये हैं। इस प्रकार आबकारी विभाग द्वारा मनमाने तरीके से अपनी इच्छा से अनुज्ञापत्र जारी किये हैं और विधिक प्रावधानों की अनदेखी की गई है, जबकि अपीलार्थी के होटल को सीधी दूरी (Crow Flies) से दूरी नापकर होटल बार

लगातार..............4

का अनुज्ञापत्र जारी किया है और होटल पगमार्ग रिसोर्ट का होटल बार अनुज्ञा पत्र सड़क मार्ग से दूरी नापकर जारी किया गया है, क्योंकि होटल पगमार्ग की सीधी दूरी (Crow Flies) नगरपालिका सीमा से 5 किमी. से कम पड़ती है। इस प्रकार आबकारी विभाग द्वारा मनमाने तरीके से जो प्रार्थी का होटल बार अनुज्ञा पत्र पर अधिक शुल्क वसूल किया जा रहा है, वह उपरोक्तानुसार विरोधाभाषी व मनमाना आदेश होने से निरस्तनीय है।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने आबकारी आयुक्त व जिला आबकारी अधिकारी के आदेशों को विधिसम्मत बताते हुए निगरानी खारिज किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विवादित बिन्दु यही है कि आया बार परिसर की दूरी नगरपालिका सीमा से सामान्यतया प्रयुक्त सड़क मार्ग से मानी जाये या सीधी दूरी (Crow Flies) से मानी जावे। जिला आबकारी अधिकारी तथा आबकारी आयुक्त ने रिसोर्ट की दूरी नगरपालिका सीमा से सीधी (Crow Flies) के आधार पर 5 किमी. से कम आंकते हुए तदनुसार अनुज्ञापत्र राशि को उचित माना है। यह आधार किसी भी प्रकार से मान्य नहीं हो सकता। कोई भी ग्राहक रिसोर्ट जाने के लिये सड़क मार्ग का ही प्रयोग करता है। वायु मार्ग से रिसोर्ट तक जाने का कोई साधन विवादित आदेशों में नहीं बताया गया है। विभागीय परिपत्र संख्या एफ.4(13)एफडी/ईएक्स/72 दिनांक 15.5.72 के आधार पर जारी परिपत्र में देशी शराब के मामले में दूरी के बारे में स्पष्ट किया है कि –

> "Such distance would mean the distances along regular approach roads in existence and in constant use. It should not be measured as the crow flies. Further the distance should normally be between the actual building or structure covered by Rule 75….."

प्रार्थी की ओर से नगरपालिका सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 7.3.2006 को जारी प्रमाण–पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की है, जिसमें प्रार्थी के रिसोर्ट को नगरपालिका सीमा से 5.2 किमी. दूर स्थित बताया है। इसी प्रकार तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने पत्र दिनांक 13.5.2005 में रिसोर्ट को नगरपालिका सीमा से 5 किमी. से अधिक की दूरी पर बताया है।

आबकारी निरीक्षक को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा रिसोर्ट नगरपालिका सीमा व सीधी दूरी नापने के निर्देश दिये जाने पर निरीक्षक ने पत्र दिनांक 10.3.2006 से सूचित किया है कि –

लगातार..............5

"………अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास इस प्रकार से सीधी दूरी (As Crow Flies) मापने के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं फिर भी यथासम्भव अन्दाज कर सीधी दूरी (As Crow Flies) मापा गया तो पाया कि होटल टाईगर डेन की नगरपालिका सवाईमाधोपुर से (As Crow Flies) सीधी दूरी 5 किलोमीटर से कम है। रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है।"

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा रिसोर्ट की दूरी सीधी मापे जाने के निर्देश का कोई आधार नहीं है। कोई भी ग्राहक सामान्यतया सड़क मार्ग से ही रिसोर्ट तक पहुंच सकता है। सीधी दूरी से नापने का प्रावधान न तो आबकारी नियमों में दिया गया है, न ही इसका उपयोग किया जा सकता है। इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि सड़क मार्ग से रिसोर्ट की दूरी 5 किमी. से अधिक है। इसलिए इस पीठ के मत में रिसोर्ट की दूरी नगरपालिका सीमा से 5 किमी. से अधिक होने के आधार पर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण राशि रूपये 75,000/– ही ली जा सकती है। इससे अधिक वसूली की गई राशि यदि हो तो बाद जमा सत्यापन प्रार्थी को लौटावें।

परिणामस्वरूप प्रार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला आबकारी अधिकारी व आबकारी आयुक्त के आदेशों को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

7-4-14

(अमर सिंह)
सदस्य

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
7/4/14